

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर।

पत्रांक-जीआर/जी-1/सफाई-धुलाई/ 9999 /ब/20 दिनांक 10 सितम्बर 2020.

टेण्डर सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिवहन निगम मुख्यालय के पत्रांक-1934 एमटी 2020-42 एमटी/2015 दिनांक-30 जुलाई, 2020 में अंकित प्राविधानों के अनुसार गोरखपुर/सोनौली बस स्टेशन पर मार्ग से चल कर आई बसों में लघु सफाई किये जाने हेतु अनुभवी ठेकेदारों के चयन के लिए दिनांक 25.09.2020 तक सील बन्द निविदा/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जो कि क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, परिवहन निगम, गोरखपुर में उक्त दिनांक को समय 16:00 बजे तक टेण्डर बाक्स में डाले जायेंगे। निविदा/प्रस्ताव में फर्म को टेक्निकल बिड तथा फाईनेन्शियल बिड हेतु प्रपत्र अलग-अलग बन्द लिफाफों में देने होंगे। बसों की सफाई हेतु तीन वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। परफारमेन्स अच्छी होने पर क्षेत्रीय समिति 02 वर्ष (1+1) हेतु अनुबन्ध बढ़ा सकेगी। प्रत्येक बस स्टेशन के लिए पृथक-पृथक निविदायें देनी होंगी।

टेण्डर कार्यवाही दो चरणों में होगी:-

टेक्निकल बिड-

टेक्निकल बिड में फर्म द्वारा निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे :-

- (क)- सेवाप्रदाता को सफाई-धुलाई या हाउस कीपिंग के क्षेत्र में अनुभव वांछित है। सेवाप्रदाता द्वारा किसी राजकीय, पब्लिक सेक्टर अथवा निजी क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित संस्था में विगत 03 वर्ष में कम से कम एक बार मैनपावर अथवा सेवाओं की आपूर्ति की हो, इस हेतु का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ख)- Earnest money के मद में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 5,000.00 के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।
- (ग)- टेण्डर हेतु निविदा शुल्क के मद में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 236.00 के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।
- (घ)- फर्म का गत 02 वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 कर वार्षिक टर्न ओवर, बैलेन्स शीट की सत्यापित प्रति।
- (छ)- फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
- (ज)- ई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
- (झ)- बस सफाई हेतु स्टेशनवार निर्धारित संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमति पत्र।

दिनांक-25.09.2020 को अपराह्न 16.00 बजे तक प्राप्त प्रस्तावों में से टेक्निकल बिड को क्षेत्रीय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। प्रति बस स्टेशन प्रस्ताव के साथ टेण्डर हेतु निविदा शुल्क ₹0 236.00 का बैंक ड्राफ्ट एवं प्रतिभूति मद हेतु प्रति बस स्टेशन हेतु धनराशि ₹0 5,000 का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम, गोरखपुर के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा। बिना निविदा शुल्क एवं बिना प्रतिभूति धनराशि के प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

फाईनेन्शियल बिड

टेक्निकल बिड में उपयुक्त फाई गयी फर्मों की फाईनेन्शियल बिड दिनांक-25.09.2020 को ही उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में खोली जायेगी। फाईनेन्शियल बिड में न्यूनतम प्रति बस सफाई दर देने वाली फर्म का चयन क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जायेगा।

चयनित सेवाप्रदाता को न्यूनतम 07 दिन का निःशुल्क ट्रायल निगम के नामित अधिकारियों की समिति के समक्ष करना होगा। ट्रायल में कार्य सही पाये जाने पर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

परिवहन निगम की बसों की महत्वपूर्ण बस स्टेशनों पर लघु सफाई हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी है:-

1. (क) परिवहन निगम की निगम की निगम एवं अनुबन्धित बसों जो 200 किमी से अधिक संचालित होकर बस स्टेशन पर टर्मिनेट हो रही हों अथवा बस स्टेशन से पास हो रही हो उनकी लघु सफाई बस स्टेशन पर की जाये।

(ख) परिवहन निगम के चयनित महत्वपूर्ण बस स्टेशन निम्नवत् है:-

ट्रान्सपोर्ट नगर एवं ईदगाह-आगरा, भूतेश्वर-मथुरा, आलमबाग एवं कैसरबाग-लखनऊ, जीरो रोड एवं सिविल लाइन्स-प्रयागराज, झंकरकटी-कानपुर, सेटैलाइट एवं बरेली-बरेली, गोरखपुर, सौनोली, सोहराबगेट-मेरठ, मैसाली-मेरठ, वाराणसी, राबर्टसगंज, नोएडा, कौशाम्बी-गाजियाबाद, हरदोई, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर।

2. बसों की लघु सफाई में निम्नवत् कार्य कराये जाने आवश्यक होंगे :-

(क) बसों को बाहर की तरफ से सूखे/गीले कपड़े से साफ करना होगा।

(ख) बसों के शीशों की अन्दर एवं बाहर से **Approved** लिक्विड इण्डस्ट्रीयल डिटेर्जेंट, से सफाई करानी होगी एवं हेन्ड हेल्ड वाईपर से शीशे को साफ करना होगा।

(ग) बसों की अन्दर से पूरी सफाई यथा झाड़ू लगाना, सीटों के नीचे से कचरा साफ करना, डैस बोर्ड एवं चालक केबिन की सफाई करनी होगी।

(घ) बस स्टेशन पर टर्मिनेट होने वाली बसों में गीले कपड़े/स्पंज पर डिटेर्जेंट लगाकर बस की सीटों को पोंछना।

(च) बस के अन्दर **Approved** फेश्नेर का स्प्रे करना।

- (छ) बस के अन्दर उल्टी, पान का पीक जैसी अन्य गन्दगी होने पर उसकी पूर्ण सफाई करनी होगी।
- (ज) बस में रखे हुए डस्टबिन का कूड़ा हटाकर डस्टबिन को साफ करना होगा।

3-सामान्य शर्तें:-

- (क) डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/बस स्टेशन प्रबन्धक, उन बसों की सूची तथा बस स्टेशन पर आने का सम्भावित समय सेवाप्रदाता को उपलब्ध करायेंगे जिनकी ड्राई माफिंग की जानी है।
- (ख) उपरोक्त के अतिरिक्त आने वाली अन्य बसों की लघु सफाई स्टेशन इंचार्ज के द्वारा दी गयी रिलिफ/टोकन के आधार पर की जायेगी।
- (ग) बसों की लघु सफाई में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे-लिक्विड इण्डस्ट्रीयल डिटर्जेंट, ब्रान्डेड इण्डस्ट्रीयल परफ्यूम्ड डिरिङ्ग्फेवटेण्ड, फेशनर तथा सफाई हेतु झाड़ू, कपड़े, वाइपर, आदि सेवाप्रदाता को स्वयं अपने व्यय पर लाना होगा। लिक्विड इण्डस्ट्रीयल डिटर्जेंट, ब्रान्डेड इण्डस्ट्रीयल परफ्यूम्ड डिरिङ्ग्फेवटेण्ड एवं फेशनर के ब्रान्ड एवं गुणवत्ता का पूर्व अनुमोदन क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक से लिया जायेगा।
- (घ) लघु सफाई कार्य में लगाये गये कार्मिक कार्य के दौरान फेसमास्क, हेण्डग्लव्स, सेप्टी जैकेट तथा सुरक्षा टोप का प्रयोग करेंगे। सेवाप्रदाता यह भी सुनिश्चित करें कि उनके प्रत्येक कार्मिक निर्धारित यूनीफार्म में रहें तथा जूते, एप्रेन, रबर बूट, हैण्ड ग्लव्स, सेप्टी जैकेट (निगम द्वारा निर्धारित कलर प्लान में) तथा सुरक्षा टोप अवश्य पहनेंगे। यह सामग्री एवं **Approved** हैण्ड सेनेटाईजर तथा फेसमास्क सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (च) सेवाप्रदाता को बसों की सुचारु रूप से लघु सफाई हेतु बसों की संख्या के अनुसार शिफ्टवाइज अलग-अलग कार्मिकों की व्यवस्था करानी होगी। सेवाप्रदाता द्वारा सभी कार्मिकों का दुर्घटना बीमा भी कराना होगा तथा सभी कार्मिकों का आधार कार्ड या वोटर-कार्ड की प्रमाणित प्रति स्टेशन इंचार्ज के पास जमा करना होगा तथा स्टेशन इंचार्ज/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को उसकी मूल प्रति भी दिखानी होगी।
- (छ) सेवाप्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे उपलब्ध करायी गयी लघु सफाई होने वाली समस्त बसों की लघु सफाई प्रत्येक दशा में की जाय।

4- कार्मिकों की व्यवस्था का निर्धारण:-

यात्रियों की सुविधा तथा लघु सफाई में लगने वाले समय को अधिकतम 10 मिनट करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक बस की लघु सफाई में एक कार्मिक बस के अन्दर की सफाई करेगा तथा दुसरा कार्मिक बस के बाहरी हिस्से की सफाई करेगा।

उक्त के दृष्टिगत कार्मिकों की न्यूनतम व्यवस्था का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

“ प्रतिदिन लघु सफाई होने वाली सम्भावित प्रत्येक 100 बसों पर 04 कार्मिकों की न्यूनतम तैनाती सेवाप्रदाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। 100 से अधिक लघु सफाई होने वाली

सम्भावित बसों की स्थिति में प्रोटेटा आधार पर कार्मिकों की तैनाती में वृद्धि करनी होगी। शिफ्टवाइज कार्मिकों की तैनाती बस स्टेशन प्रबन्धन बसों के आवागमन के आधार पर करेगा। किसी भी बस स्टेशन पर न्यूनतम 04 कार्मिक अवश्य तैनात होंगे।”

8-प्रतिभुति धनराशि एवं अनुबन्ध अवधि:-

- (क) सेवाप्रदाता को दैनिक साफ होने वाली बसों की संख्या 200 अथवा अधिक होने की सम्भावना वाले बस स्टेशन हेतु 40 हजार रु० एवं इससे कम साफ होने वाली बसों की संख्या होने की सम्भावना वाले बस स्टेशनों के लिए 20 हजार रु० की प्रतिवर्ति धनराशि क्षेत्रीय प्रबन्धक के पास जमा करनी होगी। Earnest money की धनराशि security deposit में समामोजित की जा सकती है।
- (ख) क्षेत्रीय समिति द्वारा प्राप्त उपयुक्त दरों तथा टर्गस एण्ड कन्डीशन के आधार पर अनुबन्धकर्ता से प्रारम्भ में तीन वर्ष हेतु अनुबन्ध किया जायेगा। परफारमेन्स अच्छी होने पर क्षेत्रीय समिति 02 वर्ष (1+1) हेतु अनुबन्ध बढ़ा सकेगी।

9-सेवाप्रदाता के चयन हेतु अहता:-

- (क) सेवाप्रदाता को सफाई-धुलाई या हाउस कीपिंग के क्षेत्र में अनुभव वांछित है। सेवाप्रदाता द्वारा किसी राजकीय, पब्लिक सेक्टर अथवा निजी क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित संस्था में विगत 03 वर्ष में कम से कम एक बार मैनपावर अथवा सेवाओं की आपूर्ति की हो।
- (ख) सेवाप्रदाता का ईं0पी0एफ0ओ0 जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो।

7-सुगताम व्यवस्था:-

- (क) बस स्टेशनों पर बसों की सफाई की जिम्मेदारी सम्बन्धित बस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज की होगी। पर्यवेक्षकीय जिम्मेदारी सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (बस स्टेशन/डिपो) एवं क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक की होगी।
- (ख) सेवाप्रदाता निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में ट्रिप्लीकेट रसीद बुक रखेगा जिसकी एक प्रति बसों की सफाई के उपरान्त सेवाप्रदाता के प्रतिनिधि द्वारा साफ होने वाली बस के चालक/परिचालक से हस्ताक्षर कराकर प्राप्त करायेगे चालक/परिचालक अपने मूल डिपो में कॅश जमा करते समय अनिवार्यतः वह रसीद मार्ग पत्र के साथ बैग-वक्ष में प्राप्त करायेगे। सेवाप्रदाता रसीद की तीसरी प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करायेगे। इसी प्रकार डिपो में जमा हुई रसीद का विवरण सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दैनिक रूप से क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्राप्त कराया जायेगा।
- (ग) बस स्टेशन स्तर पर एक रजिस्टर मेनटेन किया जाये जिसमें बसवार साफ हुई बस का विवरण अंकित किया जाना होगा। उक्त रजिस्टर की छाया प्रति प्रत्येक माह 16 व 02 तारीख को बिल के साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक को उपलब्ध करा दी जायेगी। रजिस्टर मेनटेन करने का दायित्व सेवाप्रदाता का होगा।

- (3) बसों को सफाई के लिए धनराशि क्षेत्रीय प्रबन्धक की पक्षिक मांग पर मुख्यालय द्वारा सीधे क्षेत्रीय प्रबन्धक को उपलब्ध कराई जाएगी।

9- सफाई

- (क) बस स्टेशन प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं अन्य उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में दिखले स्टेशन पर साफ की गयी बस के सफाई की रसीद उपलब्ध होने के बावजूद भी गन्दी पायी जाने पर सेवाप्रदाता से रु० 100/- प्रति बस की दर से धनराशि की वसूली की जायेगी तथा सफाई की धनराशि देय नहीं होगी।
- (ख) निरीक्षण के समय बस गन्दी पाये जाने पर चालक पर रु० 100 की दर से अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

10- दुर्घटना

- (क) कसू सफाई हेतु सेवाप्रदाता द्वारा लगाये गये कर्मचारी सेवाप्रदाता के कार्मिक होंगे किसी भी प्रकार की दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा होने पर किसी भी प्रकार विधिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा, अपितु इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता का होगा।
- (ख) बसों से निकले कूड़े के नियमित निस्तारण की व्यवस्था सेवाप्रदाता को करनी होगी।

11- अनुबन्ध निस्तारण

परिवहन निगम द्वारा समय-समय पर अनुबन्ध की समीक्षा की जायेगी। उभय पक्ष को 01 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार रहेगा।

12- अर्बिट्रेशन

उभय पक्ष के मध्य किसी प्रकार के विवाद का निस्तारण उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियुक्त किये गये आर्बिट्रेटर द्वारा Arbitration and Conciliation Act 1996 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। आर्बिट्रेटर का निर्णय पक्ष का मध्य होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राथमिक) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
- 2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।
- 3- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गोरखपुर/राप्तीनगर/देवरिया/बस्ती/सिधनगर/महाराजगंज/सोनौली/पडरौना।
- 4- नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, परिवहन निगम, गोरखपुर।

10/9
क्षेत्रीय प्रबन्धक